

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या – 17/2024
जीसीएमएस नम्बर – 2024/124

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत, उम्र 40 वर्ष (एफ बी ओ/मालिक)
फर्म-मैसर्स श्री मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वाया पोस्ट चण्डालिया,
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारों की ढाणी, वाया पोस्ट
चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

अप्रार्थी उपस्थित।

—:आदेश :-

दिनांक :- 28.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.04.2023 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मैसर्स मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान ईकाई पर विक्रेता/एफबीओ श्री मगराज प्रजापत पुत्र श्री पेमाराम प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी- कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले तथा आम जनता को हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर खाद्य पदार्थ आदि का निर्माण एवं भण्डारण किये हुये पाये गये। उक्त विक्रेता/मालिक से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा-पत्र मांगा, इन्होंने पहचान पत्र आधार कार्ड श्री मगाराम, जीएसटी प्रमाण पत्र, एफएसएसए प्रमाण पत्र 1221032000314 पेश किया। जिसकी सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न हैं। परिसर का निरीक्षण करने पर 50 किलोग्राम के 30 बैग्स बिना खाद्य तेल लगे एवं 35 बैग्स प्रत्येक 30 किलोग्राम के खाद्य तेल लगे आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु रखे थे।



मिलावट का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए गवाह श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री हिम्मताराम मेघवाल निवासी – गांव चण्डालिया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के सामने विक्रेता को दोनो तरह के लोट हेतु प्रपत्र 5ए नमूना संख्या एम- 3435 एवं नमूना संख्या 3456 भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया गया कि यह लाल मिर्च पाउडर के नमूने वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जो संलग्न है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये भाव से रूपये 480/- नगद देकर लाल मिर्च पाउडर 2 किलोग्राम नमूना संख्या एम-3435 हेतु वास्ते जांच नये पॉलीथीन बैग में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की तथा रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये भाव से रूपये 500/- नगद देकर लाल मिर्च पाउडर 2 किलोग्राम नमूना संख्या एम-3456 हेतु वास्ते जांच नये पॉलीथीन बैग में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं। जिसकी असल प्रति संलग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने दोनों नमूनों हेतु लाल मिर्च पाउडर 2 किलोग्राम को चार-चार साफ सुखे खाली एवं नये जारो में बराबर-बराबर डालकर बन्द कर इन भागो हेतु लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एम-3435 एवं एम-3456 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया एवं चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-3435 एवं एम-3456 हस्ताक्षर युक्त डॉ. जितेन्द्र पुरोहित, अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये

व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-3435 एवं एम-3456 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंगन है।

उक्त नमूना लेने के पश्चात् लाल मिर्च पाउडर 50 किलोग्राम के 30 बैग्स बिना खाद्य तेल लगे कुल मात्रा 1498 किलोग्राम एवं 35 बैग्स प्रत्येक 30 किलोग्राम के खाद्य तेल लगे कुल मात्रा 1048 किलोग्राम को सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर में खाद्य कारोबारकर्ता श्री मगराज को जरिये प्रारूप-2 एवं प्रारूप-3 के द्वारा जप्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। उक्त दोनों प्रारूप संलग्न परिवाद हैं।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेसन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 17.04.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-3434 एवं एम-3456 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 17.04.2023 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 17.04.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के रजि० पत्र संख्या एफएसएसए/2023/एम-3435/661-662 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट 1056/एक्ट/2023/1098 दिनांक 04.05.2023 एवं रजि. पत्र संख्या एफएसएसए/2023/एम-3456/663-664 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट 1055/एक्ट/2023/1097 दिनांक 10.05.2023 श्री मगाराम पुत्र श्री पेमाराम प्रजापत उम्र 40 वर्ष (एफ बी ओ/मालिक) फर्म-मैसर्स- श्री मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी वाया पोस्ट चण्डालिया, तह० तिंवरी जिला जोधपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गयी। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी एवं उक्त की एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर अमानक स्तर (Sub-Standard) का होना पाया गया। उक्त अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंगन है। एफ० एस० एस० एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ तथा बतलाया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा एक ही चक्की में नमक, हल्दी व मिर्च पीसी जाती है। अन्त में न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म-मैसर्स श्री मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वाया पोस्ट चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु मिर्च का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन होने के कारण धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत पर शास्ती रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत, उम्र 40 वर्ष (एफ बी ओ/मालिक) फर्म-मैसर्स श्री मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वाया पोस्ट चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारों की ढाणी, वाया पोस्ट चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)